भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

BEECHWAL, BIKANER (RAJASTHAN) - 334006

बीछ्वाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

पत्रावली क्रमांक:07(ii)08/CS/FPA/16/ 3313 दिनांक: 06.01.2017.

स्पीड पोस्ट

सेवामें,

श्री जगदीश डुडी पुत्र श्री रामनारायण जी,
खजूर फार्म, एस.के.आर.ए.यू.,
बीकानेर (राज.)।

विषय:- संस्थान प्रक्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डो में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1150 बेर के पौधो में लगे हुए फलों की खुली नीलामी बाबत।

संदर्भ:- (1) आपके द्वारा जमा राशि, रसीद संख्या TR-79 दिनांक 28.12.2017 रु. 15500.00 एवं TR-88 दिनांक 03.01.2018 रु. 30500.00
(2) आपका पत्र दिनांक 03.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है उपरोक्त नीलामी हेतु आपके द्वारा लगाई गई अधिकतम बोली रु. 46,000/- (रुपये छियालीस हजार मात्र) एवं आपके द्वारा प्रस्तुत अनुबंध विलेख को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा आप द्वारा बोली की पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है (क्रमश: रु.2500/- टी.आर.-78 रु.15500/- सं.79 दि: 28.12.2017 + रु.30,500/- टी.आर.-5 सं.88 दि: 03.01.2018 अनुसार)। अत: आप संस्थान के प्रभारी फार्म से सम्पर्क करते हुए उपरोक्त वृक्षों के फलों की तुडाई का कार्य तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित शर्तों पर आरम्भ करें:-

1. बेर वृक्ष, जिनके फलों की नीलामी की गयी है, को प्रक्षेत्र के बगीचे में चिन्हित किया गया है। इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से सम्पर्क किया जा सकता है।

2. आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुडाई के दौरान बेर वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुचें। बेर बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

3. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात बेर फलों के तुडाई का कार्यादेश जारी होने के **दो माह** में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक बेर फलों पर नही रहेगा। इस अवधि में बेर फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।

4. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

5. फलों की तुडाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में फलों की तुडाई नही होगी। प्रत्येक सम्बंधित वैज्ञानिक द्वारा आंकड़े लेने हेतु चाही गई किस्म के पौधे के फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेगें। संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को फलों के तुडाई के लिये नही लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। तोडे गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।

6. जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ संस्थान के अनुसंधान कार्यो के लिये बेर प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम बेर फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।

7. फलों की तुडाई, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।

8. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पक्षीयों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी।

9. तुडाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदुरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

10. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुडाई का कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

11. वर्णित कार्य के अनुबंध पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे संस्थान के मुख्यालय भा.कृ.अनु.परि., नई दिल्ली द्वारा नियुक्त पंच (Arbitrator) को सुपुर्द कर दिया जावेगा। पंच के निर्णय को मानने के लिए दोनो पक्ष बाध्य होंगे।

12. संस्थान को बिना कोई कारण बताए अनुबंध को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

यह संस्थान के सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है।

भवदीय,

(कुलदीप पान्डे)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी फार्म, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. फार्म मैनेजर, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
5. प्रभारी सुरक्षा, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
6. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
7. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर-संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।
8. सूचना पट्ट, कार्यालय/प्रक्षेत्र भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
9. सतर्कता अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

Sh. Sanjay Pahi
10/01/18